न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 44 / 2016 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार फतेहगढ़।	**बनाम**	1.श्रीमती अच्छनकंवर पत्नी हडवन्तसिंह 2.उत्तमसिंह पुत्र हडवन्तसिंह 3.रेवतसिंह पुत्र हडवन्तसिंह 4.झबरसिंह पुत्र हडवन्तसिंह 5.दीपसिंह पुत्र हडवन्तसिंह 6.सरदारसिंह पुत्र हडवन्तसिंह 7.उदयसिंह पुत्र हडवन्तसिंह 8.हाथीसिंह पुत्र हडवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जोगीदास का गांव तह0 फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 52/2014 बनवान हडवन्तसिंह कायम मुकाम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री केसरसिंह भाटी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 17.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम जोगीदास का गांव के खसरा संख्या 229 के नये बटा नम्बर 229/771 रकबा 130.16 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। रेस्पोडेंट/वादीगण का वक्त सेटलमेंट कब्जा काश्त नहीं होने के कारण ग्राम जोगीदास का गांव के खसरा संख्या 229 के नये बटा नम्बर 229/771 रकबा 130.16 बीघा भूमि राजकीय दर्ज की गई एवं इनके नाम दर्ज नहीं हुई है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 04.12.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई जो समरी की भूमि से अधिक है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। रेस्पोडेंट का इस वादग्रस्त खसरा की भूमि पर कोई अधिकार नही रहा है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण समरी बंदोबस्त से आज तक अपनी समस्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि जोगीदास के गाटे के वर्तमान खसरा संख्या 229 के नये बटा नम्बर 229/771 रकबा 130.16 बीघा पर आज दिन तक निरंतर काबिज हैं। यह भी स्पष्ट हैं कि वादीगण/रेस्पोडेंट की फाइनल सेटलमेंट के दौरान समरी सेटलमेंट में दर्ज भूमि नये बटा नम्बर 229/771 रकबा 130.16 बीघा में कमी करके केवल खसरा संख्या 229 रकबा 97.03 बीघा भूमि रेस्पोडेंट/वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई जो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के की गई हैं। बिना किसी ठोस आधार के वादीगण के पिता की समरी के मालिकाना हक की भूमि को बिना कोई जांच किये हाल खसरा संख्या 229/771 रकबा 130.16 बीघा भूमि को पड़त सरकार (सिवायचक) दर्ज कर दिया जो कि गलत था। ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट/वादीगण की मौके पर रहवासी ढाणीयों टांके बने हुए तथा रेस्पोडेंट/वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है। शेष भूमि बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या कमी करने का अधिकार नही था। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलब का कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। कि समरी सेटलमेंट में जोगीदास का गांव के खसरा संख्या 49 रकबा 80.10 बीघा हनुवंतसिंह वल्द मगसिंह कौम राजपूत भीड़कमल भाटी सा.देह खातेदार (EXP-4) के नाम दर्ज था जिसे कम्प्रेटिव रजिस्टर मुताबिक वर्तमान स्थाई बंदोबस्त के खसरा संख्या 229 रकबा 97.03 बीघा **(समरी में दर्ज रकबे से 16.13 बीघा अधिक)** हनुवंतसिंह वल्द मगसिंह के नाम दर्ज कर खातेदारी में दिया गया जो आज भी मुताबिक जमाबंदी संवत 2068–71(EXP-3) दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि समरी में उनके दर्ज रकबे से भी अधिक रकबा स्थाई बंदोबस्त में उनकी खातेदारी में दिया गया जिसकी पुष्टि भू–प्रबंध विभाग के खसरा संवत 2021 (EXP-5) से होती है। यह खातेदारी भूमि जमाबंदी सवंत 2018–21(EXP-7), 2022–25 में (EXP-8), 2026–29 (EXP-9), 2030–33(EXP-10) के अनुसार खसरा संख्या 49 में रकबा 80.10 बीघा लगातार दर्ज रहा है जिसकी पुष्टि खसरा गिरदावरी 2015–18 (EXP-11), 2019–22(EXP-12), 2022–25(EXP-13), 2026–29(EXP-14), 2030–33(EXP-15) तथा खतौनी ग्राम जोगीदास ठिकाना खुद (EXP-17) से होती है। दावाकृत भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट का कब्जा सन् 2010 से पूर्व का नहीं है जो (EXP-18 से EXP-21) साबित करते है। वाद में प्रस्तुत सभी गवाह **खसरा संख्या 94 रकबा 80.10 के** संबंध में अपने शपथ–पत्र में कथन करते हैं जिसमें वादी के आवेदन पत्र, जो अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय लावे दि नही प्रस्तुत हुआ, पर संशोधन करना विधि में कतई अनुमत नहीं है। **वादी (रेस्पोडेंट) का दावा खसरा संख्या 94 में है और उसका समर्थन गवाहों ने अपने कथनों में भी इसी रूप में किया है। दावे में संशोधन करने की अनुमति तो विधि में विहित परन्तु साक्षी के कथनों में परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है।** पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य भी वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट के अनवरत कब्जा काश्त की पुष्टि नहीं करता। उसका वादग्रस्त भूमि पर केवल **संवत 2071** में अतिक्रमण होना पाया गया है। लिहाजा प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है एवं रेस्पोडेंट का दावा सारहीन है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/2014 बनवान हडवन्तसिंह कायम मुकाम बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.12.2014 को खारिज किया जाता है।

17/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतसिंह बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner